सेवा में,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
कामां

विषय :- सरवर्दी सिविल न्यायालय कामां मुकदमा नं. 76 दिनांक 15/12/2014 कमलसिंह जलालसिंह पिता खजानसिंह कौम जाट निवासी नगला हरसुख V/S गोपाल प्रसाद दयानसिंह कौम निवासी नगला हरसुख तह० - कामां के मौके कौम जाट निवासी नगला हरसुख तह० के विभाजन बाबत।

मान्यवर, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि सक्षम माननीय न्यायालय आपके द्वारा कोर्ट प्रभारी महोदय कनवाड़ा के मौखिक आदेशानुसार ग्राम नगला हरसुख के खसरा नं: 61/0.77, 80/1.65, 102/1.15, 5/0.33, 39/2/0… 78/1.63, 75/1.89, 3/0.66, 91/1.09, 37/0.51, 38/1/0.27, 38/0.36 42/0.15 94/1.21, 14/0.46, 15/0.49, 16/0.43, 17/0.38, 40/1.58, 41/0.14, 67/0.15 73/0.78, 90/1.26, 98/2/1.63 के मौके पर विभाजन बाबत ग्राम नगला हरसुख पहुंचा। विभाजन निम्न प्रकार है। —

क्रं. सं.	खातेदार का नाम मय आदि वल्दियत	खसरा नम्बर	रकबा
1	कमलसिंह जलालसिंह पिता खजानसिंह कौम जाट सा. देह खातेदार मदिने P.M.T.S शामिल कामां पुर्व.	80/2	0.33
		102/2	0.48
		5/2	0.17
		39/2	0.23
		38/2	0.20
		14/2	0.19
		15/2	0.20
		16/2	0.17

(हस्ताक्षर)
ह.प. कनवाड़ा

1	2
	योग
2.	प्रताप गोपाल दीवानसिंह कि रघुनाथ हि 1/6 ~~गुरुदेव पुत्र स्वामानसिंह~~ हि 1/54 लालसिंह पुत्र रतनसिंह हि 1/9 रतनसिंह पुत्र राधेश्याम हि 1/9 रघुनाथ पुत्र भूपाल हि 1/9 गुरुदेव पुत्र स्वामानसिंह हि. 9/27 कौन जाए या देह रबानेमार, रघुनाथ, प्रताप, लालसिंह गुरुदेव, रतनसिंह सहित P.N.B खाता नामां पुर्ने.
	योग
3	प्रताप गोपाल दीवानसिंह कि रघुनाथ 9/14, गुरुदेव पुत्र स्वामानसिंह हि 9/126, लालसिंह पुत्र रतनसिंह, हि 1/21, रतनसिंह पुत्र राधेश्याम हि 1/21, रघुनाथ पुत्र भूपाल हि 4/21, ~~गुरुदेव पुत्र स्वामानसिंह हि 8/126~~, कौन जाए या देह रबानेमार, रतनसिंह रघुनाथ, प्रताप, गुरुदेव, लालसिंह सहित P.N.B खाता नामां पुर्ने.
4	गुरुदेव पुत्र स्वामानसिंह हि 3/45, लालसिंह पुत्र रतनसिंह हि 1/30 रघुनाथ पुत्र भूपाल हि 2/15, फूलसिंह विजेन्द्र कि चमनदी क.हि. 1/15, फूलसिंह पुत्र चमनदी हि 1/10, राजाराम नवलसिंह कि नटवी क.हि. 2/5, राजलाल पुत्र लाभालेया, हि 1/15, हरनी पुत्र मदन हि. 1/60 किला स्थन, तेजपाल पुत्र मोतीराम हि 1/15 ~~गुरुदेव पुत्र स्वामानसिंह हि 2/45~~, विजनसिंह पुत्र लिखमीसिंह हि 1/60, रतनसिंह पुत्र राधेश्याम हि 1/30 सहित P.N.B खाता नामां पुर्ने. कौन जाए या देह रबानेमार

1	2
	योग
2.	प्रताप गोपाल दीवानसिंह यांचे रघुनाथ हि. $1/6$ ~~उर्फा पुत्र खजानसिंह~~ हि. $1/54$ लालसिंह पुत्र रतनसिंह हि $1/9$ रतनसिंह पुत्र सत्येश्याम हि $1/9$ रघुनाथ पुत्र भूपाल हि $1/9$ उर्फा पुत्र खजानसिंह हि. $\frac{2}{27}$ कोड जार ना देह स्यालकोट, रघुनाथ, प्रताप, लालसिंह उर्फा, रतनसिंह यांचे P.N.B गहाण नावां मुर्ती.
	योग
3	प्रताप गोपाल दीवानसिंह यांचे रघुनाथ $\frac{9}{14}$, उर्फा पुत्र खजान-सिंह हि $9/126$, लालसिंह पुत्र रतनसिंह, हि $1/21$, रतनसिंह पुत्र सत्येश्याम हि $1/21$, रघुनाथ पुत्र भूपाल हि. $\frac{4}{21}$, ~~उर्फा पुत्र खजानसिंह हि~~ $\frac{8}{126}$, कोड जार ना देह स्यालकोट, रतनसिंह रघुनाथ, प्रताप, उर्फा, लालसिंह यांचे P.N.B गहाण नावां मुर्ती.
4	उर्फा पुत्र खजानसिंह हि $\frac{3}{45}$, लालसिंह पुत्र रतनसिंह हि $1/30$ रघुनाथ पुत्र भूपाल हि. $\frac{2}{15}$, फुलासिंह विजेन्द्र यांचे चमनदी क. हिस्सा $1/15$, फुलासिंह पुत्र चमनदी हि $1/10$, राजाराम नवलसिंह यांचे पटनी क. हिस्सा. $\frac{2}{5}$, राजीलाल पुत्र लोभानिया, हि $1/15$, हरनी पुत्र मदन हि. $1/60$ बिला स्थल, तेजवीर पुत्र मोतीराम हि $1/15$ ~~उर्फा पुत्र खजानसिंह हि~~ $\frac{2}{45}$, विजयसिंह पुत्र लिखमीसिंह हि $1/60$, रतनसिंह पुत्र सत्येश्याम हि $1/30$ यांचे P.N.B गहाण नावां मुर्ती. कोड जार ना देह स्यालकोट

5.	कुन्दा पुत्र खजानसिंह हि 1/48, लालसिंह पुत्र रतनसिंह हि 1/32, रघुनाथ पुत्र भूपाल हि 1/8, फूलसिंह जितेन्द्र पि० चमनदी हि 1/16, फूलसिंह पुत्र चमनदी हि 5/64, गजाराम नवलसिंह पि० नत्थी न.हि.के. 3/8 ~~कुन्दा पुत्र खजानसिंह हि 1/64.~~ तेजवीर पुत्र तोताराम हि 117/3072, किरोडी लिखमी पि० बाबूराम हि 1/16, रामजीलाल पुत्र सामलिया हि 1/16 हरली पुत्र मदन हि 1/64, किशनसिंह पुत्र लिखमीसिंह हि 1/64, गोविन्दसिंह पुत्र किरोडीसिंह हि 1/64, रतनसिंह पुत्र राधेश्याम हि 1/32, कविता W/O फूलसिंह हि 25/504 कौम जाट के देह खातेदार, किरोडी, लिखमी, किशनसिंह, गोविन्दसिंह रतनसिंह सहित P.M.B शाखा कामां से	3 91	0.66 1.09
	योग	2	1.75
6.	कुन्दा पुत्र खजानसिंह हि 3/45, लालसिंह पुत्र रतनसिंह हि 1/30 रघुनाथ पुत्र भूपाल हि 2/15, फूलसिंह जितेन्द्र पि० चमनदी हि 1/15, गजाराम नवलसिंह पि० नत्थी न.हि.के. 2/5, रामजीलाल पुत्र सामलिया हि 1/15 हरली पुत्र मदन हि 1/60, बिला रहन, ~~कुन्दा पुत्र खजानसिंह हि 2/45~~ तेजवीर पुत्र तोताराम हि 1/15, किरोडी लिखमी पि० बाबूराम न.हि. 7/60, रतनसिंह पुत्र राधेश्याम हि 1/30 सहित P.M.B शाखा कामां से. कौम जाट सा. देह खातेदार	37	0.51
7.	कुन्दा पुत्र खजानसिंह हि 2/45, लालसिंह पुत्र रतनसिंह 1/30 हि, रघुनाथ पुत्र भूपाल हि 2/15, फूलसिंह जितेन्द्र पि० चमनदी न.हि. 1/15, गजाराम नवलसिंह पि० नत्थी न.हि० 2/5, रामजीलाल पुत्र सामलिया हि 1/15, हरली पुत्र मदन 1/60 हि० बिला रहन, ~~कुन्दा पुत्र खजानसिंह हि 2/45~~, मंगलसिंह पुत्र कुंवरपाल हि 1/15, तेजवीर पुत्र तोताराम हि 1/15, मंगलसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह हि० 11/1200 रतनसिंह पुत्र राधेश्याम हि 1/30, किशनसिंह पुत्र लिखमी हि 1/60, गोविन्दसिंह पुत्र किरोडी सिंह हि 1/60, सहित P.M.B शाखा कामां से. कौम जाट सा. देह, अजयराज पुत्र गिर्राज हि 3/1200 कौम गुजर सा. कामां हरनारायण खातेदार	42 34/1	0.15 1.01
	योग	2	1.16

ह.प. छनवाड़ा

8 कुक्का पुत्र खजानसिंह हि 2/45, लालसिंह पुत्र रतनसिंह हि 1/30
रघुनाथ पुत्र भूपाल हि 2/15, फूलसिंह जितेन्द्र सिंह
चमनदेई व. हि ब. 1/12 राजाराम नवलसिंह सिंह नरेन्द्री व. हि.
ब. 2/5 रामजीलाल पुत्र सोमालेरा हि 1/15 जिला रहत न
~~कुक्का पुत्र खजानसिंह हि 2/45~~, भाल पुत्र कुंवरपाल हि 1/15
तेजवीर पुत्र तोतीराम हि 1/15, मालसिंह पुत्र मदनलाल हि.
11/1200 रतनसिंह पुत्र सत्येन्द्रपाल हि 1/30, किशनसिंह पुत्र
किशनी हि 1/60, गोविन्दसिंह पुत्र किरोड़ीसिंह हि 1/60
साकिन P.M.B. शाखा कामा पुर्त. कौम जाट ला. देह
जगराम पुत्र गिरधारी हि. 9/1200 कौम गुर्जर ला. नगला
हरनारायण खातेदार

योग 2

9. रघुनाथसिंह पुत्र भूपालसिंह 15/26 कुक्का पुत्र खजानसिंह
हि. 5/26, लालसिंह पुत्र रतनसिंह हि 3/26, रतनसिंह पुत्र 14/1
सत्येन्द्रपाल हि 3/26 कौम जाट ला. देह खातेदार, कुक्का 15/1
लालसिंह, रतनसिंह साकिन P.M.B. शाखा कामा पुर्त. 16/1

17/1
40
41
67
73
90/2/1
98/2/1

योग

नजरी नक्शा

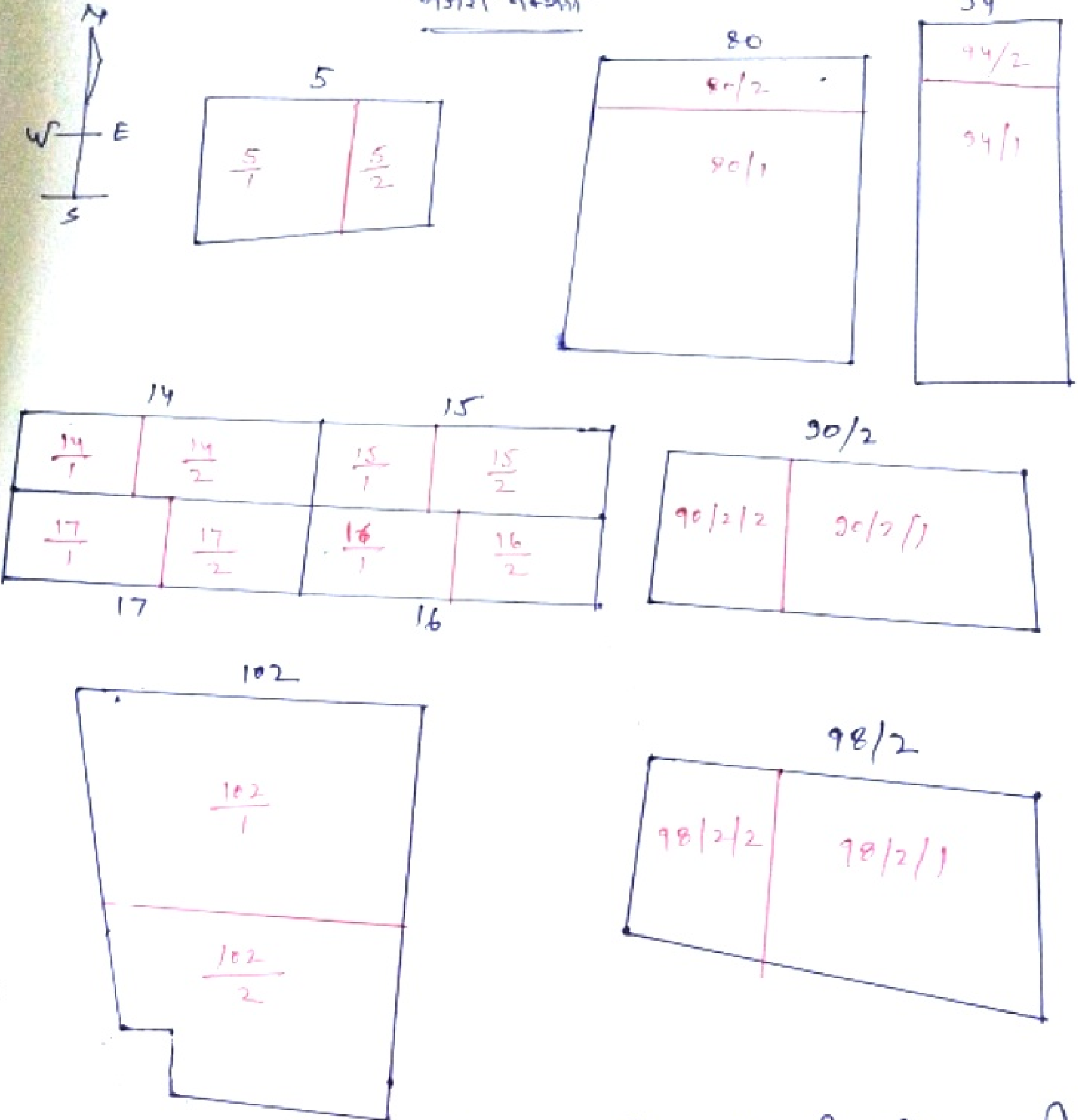

श्रीमान जी मौके पर विभाजन के समय वादी व प्रतिवादी उपस्थित नहीं आये। क्योंकि वादी जलालुद्दीन पुत्र रियाजुद्दीन कौम गाड़ा थाना (U.P) में रहता है बार 2 टेलीफोन करने के बाद भी नहीं आया। इसके अलावा इसका भाई कमालुद्दीन पुत्र रियाजुद्दीन कौम गाड़ा बार 2 घर पर नहीं मिला। घर पर घरवालों से सम्पर्क किया तो बतलाया कि वह बिना कहे ही बाहर चला जाता है। और कई 2 दिनों में वापिस आता है। इसलिए पड़ौसी खातेदारों के सहयोग से विभाजन तैयार किया गया है।

16/07/18
इं. भू. अ. निरीक्षक

18/6/2018
प. कनवाड़ा

18.7.18
तहसीलदार
तहसील कामाँ (भरतपुर)

इं.प कनवाड़ा

न्यायालय श्रीमान उपजिला कलेक्टर

कामां जिला भरतपुर राज.

कमलसिंह बनाम् गोपाल वगैरहा

दावा धारा 53,188 आर.टी.एक्ट. प्रार्थना पत्र ऐतराज कुरे रिपोर्ट

श्रीमान् जी,

ऐतनराज कुरे रिपोर्ट मिनजानिब वादीगण.....

1. यह है कि वाबीगण द्वारा एक वाद न्यायालय श्रीमान् के यहां पेश किया गया था जिस पर न्यायालय श्रीमान जी द्वारा दिनांक 23.06.2015 को वादी व प्रतिवादीगण की उपथिति में कैम्प को केन्द्र छिछरवाड़ी में दोनो पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित आराजी का विभाजन किया जाकर अच्छी में अच्छी व बुरी में बुरी आराजी का विभाजन किया जाकर प्रारम्भिक डिकी पारित की गई थी जिस पर न्यायालय श्रीमान जी द्वारा विवादित आराजी वाके ग्राम नगला हरसुख तहसील कामां को विवादित आराजी का पक्षकारान की उपस्थिति में कब्जा मौका हिस्सा अनुसार अच्छी में अच्छी व बुरी में बुरी कुरे रिपोर्ट मंगवाये जाने के आदेश पारित किये जिस पर उक्त डिकी की पालना में तहसील कामां स्वंय रिपोर्ट मौका व कब्जा के अनुसार तैयार नक्शे गलत रूप से कुरे रिपोर्ट पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार कराकर भिजवाई है जो कानून गलत है बल्कि स्वयं कानूनन तहसीलदार द्वारा मौके पर आकर मौका व कब्जा अनुसार रिपोर्ट तैयार करनी चाहिये थी जो नही की गई इस प्रकार रिपोर्ट पढ़नीय नही होकर मान्य नही है। पुनः मौका व कब्जा अनुसार विभाजन के राजस्व नियम 18 से 21 पालना में पुनः रिपोर्ट मंगवाये जाने के आदेश पारित फरमाये जावें।
2. यह है कि पटवारी व गिरदावर हल्का द्वारा प्रार्थीगण की उपस्थिति में रिपोट तैयार नही की गई है जो कतई स्वीकार योग्य नही है। प्रार्थीगण वादीगण की पूर्व सरंचना पर तिथि मिति तारीख तय की जाकर वादीगण की उपस्थिति में रिपोर्ट तैयार कराकर तहसीलदार कामां द्वारा रिपोर्ट मंगवाई जावे।
3. यह है कि तत्कालीन हल्का पटवारी व गिरदावर हल्का द्वारा प्रतिवादीगण के प्रभाव में आकर गलत रिपोर्ट तैयार की गई है। वादीगण के कब्जे से खसरा नम्बर 37 में निर्मित निर्माण वादीगण को नही दिखाया गया है एंव खसरा नम्बर 37 को वादी को कब्जे अनुसार भी नही दिया है व अन्य नम्बरों में भी वादीगण का जिस पर कब्जा है उसे नही दर्शाया गया है व दिया भी नही है।

(शेष तथ्य अगले पृष्ठ पर)

वादीगण को अच्छी में अच्छी भूमि नही देकर प्रतिवादीगण के प्रभाव में आकर अपने अन्तरित दुषित मनतव्यों की पूर्ति कर गलत प्रकार से कुरे रिपोर्ट तैयार की गई है।

4. यह है कि मुताबिक निर्देश राजस्व मण्डल व निर्णय राजस्व मण्डल अजमेर आर.आई.टी.2019 (1) पेज 380 में आदेश पारित किया गया है कि तहसीलदार की मौजूदगी में विभाजन प्रस्ताव (कुरे रिपोर्ट) तैयार किया जावेगा जबकि न्यायालय श्रीमान जी द्वारा पारित डिक्री के मुताबिक तहसीलदार कामां को कुरे रिपोर्ट जारी करने के आदेश प्रदान किये गये थे जबकि तहसीलदार साहब तहसील कामा कुरे रिपोर्ट बनाते समय मौके पर नही गये ना ही पक्षकारों की उपस्थिति में कुरे रिपोर्ट तैयार की गई जबकि विधि के अनुसार तहसीलदार साहब कामा को मौके पर जाकर कुरे रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिये थी और हल्का पटवारी व भू-अभिलेख निरीक्षक व पटवारी द्वारा वादी व प्रतिवादी की अनुपस्थिति में कुरे रिपोर्ट तैयार की गई जो विधि व कानून के विपरीत तैयार की गई है जबकि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा यह आदेश पारित किया गया है कि जहां पर तहसीलदार साहब मौके पर जाकर कुरे रिपोर्ट तैयार नही की गई है तो वहां पुनः कुरे रिपोर्ट तैयार किये जाने के आदेश राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिये गये है।

अतः प्रार्थना पत्र ऐतराज कुरे रिपोर्ट पेश कर निवेदन है कि पुनः नियम व कानून व राजस्व नियमों के मुताबिक तहसीलदार कामां द्वारा विभाजन प्रस्ताव दोनो पक्षों की उपस्थिति में तैयार कर कब्जा व मौका व सामान कीमत व आराजी के अनुसार निष्पक्ष रिपोर्ट मंगवाये जाने के आदेश फरमाये जावें।

कमलसिंह जलसिंह

प्रार्थी

कमलसिंह, जलसिंह पिसरान स्व. खजान सिंह उर्फ खजानी जाति जाट निवासी नगला हरसुख थाना कामां जिला भरतपुर राज. दिनांक – 01.02.2021